

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक :

विषय— डा0 त्रिलोकी शर्मा, सेवानिवृत्त अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, शिवहर को पेंशन, उपदान एवं पेंशन
रूपान्तरण की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बध में कहना है कि डा0 त्रिलोकी शर्मा, सेवानिवृत्त अपर मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, शिवहर को वार्द्धक्य सेवा निवृत्ति के पश्चात उन्हें अनुमान्य पेंशन, उपदान एवं पेंशन रूपान्तरण
की स्वीकृति प्रदान की जाती है। डा0 त्रिलोकी शर्मा की सेवा निवृत्ति की तिथि 31.10.2024 है ।

2) उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यदि कभी भी वित्तीय
अनियमितता/वसूलनीय राशि का मामला प्रकाश में आता है तो उसकी नियमानुकूल वसूली डा0 त्रिलोकी शर्मा से
की जाएगी ।

3) इस पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक—

- (क) पेन्शन—प्रपत्र 4 की दो प्रति ।
- (ख) संयुक्त फोटो ।
- (ग) हस्ताक्षर का नमूना ।
- (घ) पारिवारिक सदस्यों की सूची ।
- (ङ) पेंशन/उपदान की गणना तालिका ।
- (च) पेंशन रूपान्तरण की स्वीकृति ।
- (छ) अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र ।
- (ज) महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा निर्गत दीर्घकालीन बकाया रहित प्रमाण पत्र ।
- (झ) आवास बकाया रहित प्रमाण पत्र ।
- (ञ) सेवा इतिहास ।

4) अनुरोध है कि सभी बकायों के सबध में अपने स्तर से पूर्णतः संतुष्ट हो लेने के उपरान्त ही
प्राधिकार—पत्र निर्गत करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,

ह0/—

(शैलेश कुमार)

ज्ञापाक—

26/3

/स्वा0, पटना, दिनांक

17/10/25

प्रतिलिपि: निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य
चिकित्सक—सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, शिवहर/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: डा0 त्रिलोकी शर्मा, सेवानिवृत्त अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, शिवहर, पत्राचार का पता—शान्ति
नगर, डाकघर—डुमरा, थाना—सीतामढ़ी, जिला—सीतामढ़ी, पिन—843302, मो0 नं0 7677735577 को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि अंतिम पदस्थापित स्थल से निर्गत बकाया रहित प्रमाण पत्र सीधे महालेखाकार, बिहार, पटना
को अपने स्तर से उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—2,7,8,9 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: विभागीय पी०एम०यू०लिड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव